केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 23.02.2017

सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर दी भूतपूर्व नेशनल एयर पोर्ट अथॉरिटी के तत्कालीन निदेशक एवं तत्कालीन सदस्य को प्रत्येक पर एक लाख रू. जुर्माने सहित दो वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने दी भूतपूर्व नेशनल एयर पोर्ट अथॉरिटी के तत्कालीन निदेशक (औजार) श्री पी. राजेन्द्रन एवं तत्कालीन सदस्य (वित्त) श्री एम.के. गणेशन को एक लाख रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 02 वर्ष की कठोर कारावास तथा मैसर्स भारतीय व्हीकलएवं इन्जीनियरिंग कम्पनी, साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री एन.के. भारतीय को 50,000 रू. जुर्माने सहित एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने दी भूतपूर्व नेशनल एयर पोर्ट अथॉरिटी (एन.ए.ए.) के तत्कालीन निदेशक (औजार) ; तत्कालीन सदस्य (वित्त) एवं मैसर्स भारतीय व्हीकल एवं इन्जीनियरिंग कम्पनी, साहिबाबाद के प्रतिनिधित्वकर्ता इसके प्रबन्ध निदेशक एवं अन्यों के विरूद्ध दिनांक 09.12.1991 को वर्तमान में मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि लोक सेवकों ने उन्हे एवं उक्त फर्म को अनुचित मौद्रिक लाभ पहुँचाया तथा 17.47 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य की क्रैश फायर टेन्डरों की खरीद में सरकार को हानि हुई।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के समक्ष दिनांक 21.12.1996 को आरोप पत्र दायर हुआ। विचारण अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया। तत्कालीन चेयरमैन एवं तत्कालीन कार्यकारी निदेशक की मृत्यु हो गई।

****